

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या-12/2020/1245/94-स्टा०नि०-2-2020-700(19)/2020
लखनऊ: दिनांक: 12 नवम्बर, 2020

अधिसूचना
आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा(1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के प्रस्तर 5.3 में यथा उपबंधित निम्न अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथाउल्लिखित प्रयोजन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथादर्शित लिखत के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में दर्शित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं:-

अनुसूची

योजना का प्रस्तर	प्रयोजन व अन्य विवरण	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति तथा अनुसूची 1-ख की अनुच्छेद संख्या
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 का प्रस्तर 5.3	(एक) एकल ई०एस०डी० एम० इकाई की स्थापना हेतु भूमि का क्रय/पट्टा (दो)ई०एम०सी०/ई० एस०डी०एम० पार्क्स की स्थापना हेतु (विकास कर्ता/एस०पी०वी० द्वारा भूस्वामी से) भूमि के क्रय/पट्टा का प्रथम संव्यवहार	100 प्रतिशत 100 प्रतिशत	अनुच्छेद-23 के खण्ड(क) के अधीन हस्तान्तरण और अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा ।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	(तीन) ई०एम०सी०/ई०एस० डी०एम० पार्क्स में ई०एस०डी०एम० इकाई द्वारा विकासकर्ता/एस०पी०वी० से भूमि का प्रथम क्रय/पट्टा	50 प्रतिशत	
--	--	------------	--

2- यह छूट, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- (क) उक्त इकाई को राज्य सरकार को किसी अन्य नीति के अधीन अन्य छूट या सुविधा नहीं प्रदान की जायेगी;
- (ख) जिला का जिला मजिस्ट्रेट ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख, ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निष्पादित किया जा रहा है, तथा
- (ग) ऐसे हस्तान्तरण विलेख/पट्टा विलेख के निबन्धन के समय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में, स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति (Bank Guarantee), निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस सम्बन्ध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी छूट प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा विहित अवधि के भीतर प्रयोजन की पूर्ति न करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने की प्रास्थिति की सूचना तत्काल स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को देगा। ऐसी दशा में, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, बैंक प्रत्याभूति को भुना कर विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा करेगा;

परन्तु यह कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किये जाने पर कि सम्बन्धित इकाई द्वारा नीति के अधीन शर्तों का सम्यक अनुपालन कर दिया गया है, बैंक प्रत्याभूति को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अवमुक्त कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव।

संख्या:-12/2020/1245/94-स्टा०नि०-2-2020-700(19)/2020,दिनांक: 12 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 12.11.2020 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव ।

संख्या:-12/2020/1245/94-स्टा०नि०-2-2020-700(19)/2020, दिनांक:12 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3-प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4-अपर मुख्य सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5-आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश ।
- 6-समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 7-प्रबंध निदेशक, यू०पी०एल०सी०, उत्तर प्रदेश ।
- 8-प्रबंध निदेशक, यू०पी० डेस्क, उत्तर प्रदेश ।
- 9-सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ ।
- 10-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 11-समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन,प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज ।
- 12-समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, जनपद-प्रयागराज ।
- 13-विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 14-भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 15-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव ।

**UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2**

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 12/2020/1245/94-S.R.-2-2020-700(19)/2020 dated 12 November, 2020.

**Notification
Order**

No. 12/2020/1245/94-S.R.-2-2020-700(19)/2020
Lucknow: Dated 12 November, 2020

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent shown in Column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instrument as shown in Column-4 of the said Schedule for the purpose as mentioned in Column-2 of the said Schedule as provided in paragraph 5.3 of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy, 2020-

Schedule

Paragraph of the Scheme	Purpose and other detail	Extent of Remission	Nature of Instrument and Article number of Schedule 1-B
1	2	3	4
Paragraph-5.3 of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy- 2020	(i) On the purchase/lease of land for the establishment of individual ESDM unit.	100%	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35.
	(ii) On the first transaction of purchase/lease of land (from landowner to developer/S.P.V.) for the establishment of E.M.C./E.S.D.M. parks.	100%	
	(iii) On the first purchase/lease of land from developer/S.P.V. to ESDM unit in the E.M.C./E.S.D.M. parks.	50%	

2. This remittance shall be subject to the following conditions:-

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(a) The Unit shall not be provided with other remittance or facility under any other policy of the State Government.

(b) District Magistrate of the District shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the conveyance deed is being executed for the purposes above-mentioned, and

(c) Irrevocable Bank guarantee of the amount equal to the remission of stamp duty in favour of Inspector General of Registration, Uttar Pradesh shall be presented before the Registering Officer at the time of registration of such conveyance deed/lease deed. In this regard, it shall be the liability of I.T. and Electronics Department that it shall inform, the status of non-fulfillment of the purpose or non-commencement of commercial production within the prescribed period, by the unit receiving such remission, to the Stamp and Registration Department, immediately. In such a condition, the Stamp and Registration Department shall deposit the amount in the proper account head of the department, by encasing the bank guarantee:

Provided that, upon confirmation of the fact by the I.T. and Electronics Department that the conditions under the policy have been properly complied with by the concerned unit, the Bank Guarantee shall be released by the Stamp and Registration Department.

By order

Veena Kumari
Pramukh Sachiv